



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 पौष 1938 (श0)
(सं0 पटना 10) पटना, शुक्रवार, 6 जनवरी 2017

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

6 जनवरी 2017

सं0 एल0जी0-01-27/2016/04 लेजः।-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उज्ज्वल कुमार दुबे,

सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 1, 2017]

बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

प्रस्तावना । — प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं छात्रों की शिक्षा के हित में राज्य में पूर्व से संचालित तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर को विभाजित कर मुंगेर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना आवश्यक है।

भारत-गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ । — (1) यह अधिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा।

(2) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा- 3 का संशोधन । — बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा - 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ट) के बाद एक नया खण्ड (ठ) निम्नवत् जोड़ा जाएगा :-

“(ठ) राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित तिथि से, मुंगेर विश्वविद्यालय की स्थापना की जा सकेगी, जिसका मुख्यालय मुंगेर में होगा और जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता सम्पूर्ण मुंगेर प्रमण्डल में प्रभावी होगी”

3. व्यावृत्ति । — बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा- 3 (1) में ऐसे संशोधन के होते हुए भी, उक्त धारा-3 (1) के द्वारा या के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई उक्त धारा - 3 (1) के अधीन विधिमान्य रूप से किया गया या की गई समझी जाएगी और बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा - 3 (1) में हुए उक्त संशोधनों के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा अथवा की जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उज्ज्वल कुमार दुबे,

सरकार के सचिव।

6 जनवरी 2017

सं0 एल0जी0-01-27/2016/05 लेज:1-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 को अनुमत बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उज्ज्वल कुमार दुबे,

सरकार के सचिव।

[Bihar Act 1, 2017]

The Bihar State Universities (Amendment) Act, 2016

AN

ACT

To Amend The Bihar State Universities Act, 1976 (Bihar Act 23, 1976).

Preamble : - For administrative purposes and educational interest of students, it is necessary to establish a new university namely Munger University, Munger by division of existing Tilka Manjhi Bhagalpur University, Bhagalpur.

Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the Sixty-Seventh year of the Republic of India as follows :-

1. Short title and commencement. - (1) This Act may be called The Bihar State Universities (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall come in force from such date which the State Government, by notification may fix.

2. Amendment in section - 3 of Bihar Act 23 of 1976. - The following one new clause (L) shall be added after clause (k) of sub-section (1) of section-3 of Bihar Act- 23, 1976.

"(L) Munger University may be established by division of Tilka Manjhi Bhagalpur University, Bhagalpur from the date notified in the Official Gazette by the State Government, by notification, headquarters of which will be at Munger and the territorial jurisdiction of which will be effective in the whole of Munger Division.

3. Savings - Notwithstanding amendment in section - 3 of Bihar Act 23, 1976, anything done or any action taken under the said section 3 (1) shall be deemed to have been validly done or taken and shall not be questioned on the ground of amendment in section 3(1) of Bihar Act 23, 1976.

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उज्ज्वल कुमार दुबे,

सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 10-571+400-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>